प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(अप्रैल, 2019)

*****

मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियाँ

1. अभी तक 52,744 आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) को अनुमोदित किया जा चुका है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर जानकारी दी गयी है 1 मई, 2019 तक इनमें से 18,002 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों को कार्यशील बना दिया गया है।

2. चीन से किए जाने चॉकलेटों और चॉकलेट उत्पादों सहित दूध और दूग्ध उत्पादों तथा कैण्डीज/ कन्फैक्शनरी/ दूध से तैयार किए जाने वाले आहार तथा अवयवों के रूप में ठोस दूध के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को तब तक के लिए बढ़ा दिया गया है जब तक कि पूरे भारत में प्रवेश पत्तनों पर स्थापित सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता का मेलमाइन के परीक्षण हेतु समुचित रूप से उन्नयन नहीं कर लिया जाता।

3. राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद में 2 अप्रैल, 2019 को खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सहयोग से थर्मो फिशर साइंटिफिक की एक अनूठी पहल) खोला गया था। यह केन्द्र महत्वपूर्ण कार्य प्रवाहों एकीकृत समाधानों, जिनसे भारत में खाद्य सुरक्षा क्षमता का निर्माण करने में सहायता मिलेगी, को विकसित कर विश्लेषणात्मक समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

4. एचआईवी/एड्स से संबंधित जानकारी, जोखिम व्यवहार तथा सेवा समय के साक्ष्यों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुख्य जनसंख्या में बीएसएस लाईट के रूप में एचआईवी निगरानी में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके लिए तकनीकी ढाँचों को एचआईवी निगरानी और प्राक्कलन संबंधी तकनीकी संसाधन दल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5. नेशनल हेल्थ स्टैक (एनेचएस) के लिए ढाँचा और कार्यान्वयन योजना बनाने के लिए यूआईडीएआई के अध्यक्ष श्री जे सत्यानारायण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने हितधारकों के साथ आगे परामर्श हेतु राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट सिफारिशे मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

6. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के 54 स्नातकोत्तर (व्यापक विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों को मान्यता देते हुए अधिसूचना जारी की गयी।

7. स्नातकोत्तर (व्यापक विशेषज्ञता) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने हेतु संशोधित तारीख उपलब्ध कराने के लिए एक संशोधित समय अनुसूची अधिसूचित की गई है।

8. स्नातकोत्तर (व्यापक विशेषज्ञता) पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक और छात्रों का संशोधित अनुपात उपलब्ध कराने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संशोधन किया गया है।

9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी करने तथा व्यापक और सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु संशोधित समय अनुसूची को अधिसूचित किया जा चुका है।

10. चिकित्सा महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन लगाने और उसके रखरखाव के संबंध में खंडों को 50/100/150/200/250 एमबीबीएस प्रवेश वार्षिक न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियम, 1999 में शामिल किया गया है।

11. मंत्रालय ने आरसीएच पोर्टल का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आईसीडीएस- सीएएस के साथ एकीकरण करने हेतु सामान्य लाभार्थी पंजीकरण योजना का विकास कार्य प्रारंभ किया है ताकि दोनों अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन्स) को अंतर प्रचालन योग्य बनाया जा सके। इस संबंध में दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में अपर सचिव एवं प्रबंधन निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

12. अप्रैल, 2019 माह के दौरान आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की प्रगति निम्नानुसार है:

पीएमजेएवाई प्रगति अप्रैल, 2019			
मीट्रिक	1 मई तक स्थिति	1 अप्रैल तक स्थिति	अप्रैल 2019 में प्रगति
जारी किए गए ई-कार्ड	3,16,97,762	2,84,36,967	32,60,795
अस्पतालों में दाखिल किए गए लाभार्थी	22,28,381	17,96,966	4,31,415
प्रवेश हेतु अधिकृत राशि	2967.3 करोड़	2417.2 करोड़	550.1 करोड़
प्रस्तुत किए गए दावे	16,99,226	13,52,658	3,46,568
दावों में प्रस्तुत की गई राशि	2225.3 करोड़	1770.8 करोड़	454.5 करोड़
दावों की औसत संख्या	13,096	13,091	13,114
अनुमानित दावे	12,20,554	9,89,898	2,30,656
दावों की अनुमानित राशि	1585.1 करोड़	1297.0 करोड़	288.1 करोड़
अस्पताल पैनलबद्धता हेतु प्राप्त कुल पात्र आवेदन	24,261	24,155	106
एनएचए काल सेंटर (14555) द्वारा उत्तर दी गई कुल कॉल	39,27,290	36,40,557	2,86,733
mera.pmjay.gov.in पर कुल प्रयोगक्ता	1,04,48,521	94,42,131	10,06,390

****